

# छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक...11/3/15.....

क्रमांक एफ 10-2/2015/16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-


**सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना :-**

1 योजना का प्रावधान :-

- 1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना ।
- 1.2 योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों सफाई कर्मकारों को समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवार को प्रशिक्षण दिया जावेगा ।
- 1.3 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी ।
- 1.4 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (समस्त संतान )
- 1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2 योजना का स्वरूप -

- 2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकार के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण ।
- 2.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार के परिवार के सदस्यों को उनके योग्यता एवं सूची अनुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा ।
- 2.3 सफाई कर्मकार यदि स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो मंडल द्वारा श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रतिदिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा ।



3 योजना हेतु पात्रता :-

- 3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सफाई कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।
- 3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए।

4 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- 4.1 आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।
- 4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
- 4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।


5 लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया -

- 5.1 संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदकों को सी.एस.एस.डी.ए.द्वारा पंजीकृत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय करवायेगा।
- 5.2 पंजीकृत व्ही.टी.पी. को शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करेगा।
- 5.3 प्रशिक्षण परिणाम उपरांत आवेदकों को मानदेय उनकी उपस्थिति के आधार पर उनके खाते में राशि जमा किया जावेगा।

6 विसंगति का निराकरण-

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(याकुब खेस्स)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11/3/15  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग